

# कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

संशोधित

Tele-Fax-07432-232230, E-mail- dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ( ) एफसीए/उवसं/2023/11019

दिनांक: 16/10/23

निमित्त:-

अधिशायी अभियंता  
सार्वजनिक निर्माण विभाग  
खण्ड- अकलेरा।

विषय:- डायवर्जन ऑफ 0.936 है0 ऑफ फोरेस्ट लैण्ड इन फेवर पीडब्ल्यूडी अकलेरा,  
झालावाड़ राजस्थान फोर कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम बीनागंज टू बलवंतपुरा अण्डर  
आरआईडीएफ स्कीम इन झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट।  
(प्रस्ताव सं.FP/RJ/ROAD/11683/2015)

प्रसंग:- इस कार्यालय के पत्रांक 10057 दिनांक 08.09.2023 के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र से प्रकरण में जमा करवाई जाने वाली राशि का डिमांड नोट प्रेषित किया गया था। श्रमिक दर में बढ़ोतरी 252/- से 259/- होने के कारण आप द्वारा प्रासंगिक पत्र से चाहा गया संशोधित डिमांड नोट निम्नानुसार प्रेषित किया गया था। उक्त डिमांड राशि में से 929810/-रु अग्रोच रोड़ सावल्दा में जमा राशि के बदले समायोजित कर ली गई है।

| क्र.स. | सैद्धान्तिक स्वीकृती की शर्त संख्या | मद                                | डिमांड नोट (श्रमिक दर 259 रुपये) | समायोजित राशि | जमा करवायी जाने हेतु शेष राशि |
|--------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1.     | शर्त संख्या 9                       | क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण            | 735896                           | 17418         | 718478                        |
| 2.     | शर्त संख्या 10                      | एनपीवी                            | 896482                           | 896482        | 0                             |
| 3.     | —                                   | Soil and moisture treatment works | 15910                            | 15910         | 0                             |
| 4.     | योग :-                              |                                   | 1648288                          | 929810        | 718478                        |

शुद्ध देय राशि 718478/-

अतः उक्त राशि केम्पा अकाउंट में जमा करवावे साथ ही सैद्धान्तिक स्वीकृती में लगाई गई शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट शीघ्रताशीघ्र प्रस्तुत करें तथा बिना स्वीकृति के गैर वानिकी कार्य नहीं किया जाना सुनिश्चित करावे।

ok (वी. चेतन कुमारIFS)  
उप वन संरक्षक  
झालावाड़  
दिनांक: 16/10/23

क्रमांक एफ ( ) एफसीए/उवसं/2023/11020-23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति०. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एफसीए जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी मनोहरथाना/अकलेरा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मौके पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हो उसकी सुनिश्चिता करें

ok उप वन संरक्षक  
झालावाड़